उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश में पेय जल

3955. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश के जिलों के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक किये गए उपचारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है और उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश के इन ग्रामों को कब तक पेय जल उपलब्ध करा दिया जाएगा;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) से (ङ) 1.4.98 तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्राप्त ग्रामीण बसावटों की स्थिति निम्नानुसार है:—

राज्य	कवर न की गई	आंशिक रूप से कवर	पूर्णतया कवर
उड़ीसा	7136	6360	100603
गुजरात	1008	5898	23363
मध्य प्रदेश	13647	30500	115721

गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को जारी केन्द्रीय सहायता (लाख रुपये में) का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	1995-96	1996-97	1997-98
उड़ीसा	3376.00	4153.83	5038.39
गुजरात	4050.00	4197.00	5886.62
मध्य प्रदेश	6673.00	7313.61	8345.68

उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की गई कार्य-योजनाओं के अनुसार इन राज्यों की सभी ग्रामीण बसावटों में नौवीं योजना अवधि के दौरान पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों।

वस्त्र निर्यात के लिये नये बाजार

3956. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वस्त्र निर्यात के लिये नए बाजारों का पता लगाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी विशिष्ट निर्यात के लिये किन्हीं नए बाजारों का पता लगाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) सरकार का निर्यात कवरेज के साथ-साथ उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए गैर-परम्परागत बाजारों का पता लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) सरकार ने परिधान और वस्त्र निर्यात हकदारी नीतियों दोनों में ही गैर-कोटा निर्यातकों के लिए पहले से ही 5% के वार्षिक कोटा स्तर को उद्दिष्ट किया है। संबंधित वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें भी क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन कर रही हैं तथा इन बाजारों में मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी कर रही हैं।

(ग) और (घ) लेटिन अमरीकी देश, जापान और ओशियाना के देश ऐसे कुछेक देश हैं, जिन्हें सामान्यतः सभी वस्त्र उत्पादों के लिए अभिज्ञात किया गया है।

(ङ) वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्कमुक्त आयात के लिए विशेष प्रबंध करना तथा निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।